

मूल वाद में डिग्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट खिनानियां)

1. विनोद कुमार पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2. जसवन्तसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।

-वादीगण

बनाम

1. रूपराम पि.मु.पूर्णराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2. निर्मला पुत्री रूपराम पत्नी जयप्रकाश जाट निवासी नानुआना तहसील रानियां जिला सिरसा।
3. राजबाला पुत्री रूपराम पत्नी मंगलसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. जयकौरी पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-309/2017
अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए
निर्णय दिनांक:-29.6.2018

वादी की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती है कि -प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के नाम से चक श्योदानपुरा बरानी के खाता संख्या 53 के खसरा नं. 46 में 4.7800 है. कृषि भूमि, तथा चक नं. 1 ए बरानी में खाता संख्या 185 में कुल 5.566 है. मय गैर मुमकिन अनकमाण्ड आराजी का वादीगण व प्रतिवादी स्वयं को निम्नानुसार प्राप्त हुई है-

- (क)-वादी संख्या 1 व 2 विनोद कुमार व जसवन्तसिंह को बंटवारा में प्राप्त आराजी- चक श्योदानपुरा बरानी के खाता संख्या 53 के खसरा नं. 46 की कुल 4.7800 है. वहिब भूमि।
- (ख)-वादी संख्या 1 विनोद कुमार को बंटवारा में प्राप्त आराजी-चक नं.1 ए बरानी के खाता संख्या 185 प.नं.264/367 मु.नं. 50 कि.नं. 16,25/0.506 है.प.नं. 264/368 मु.नं. 61 कि.नं. 5/0.253 है.प.नं. 265/368 मु.नं. 62 कि.नं. 1,10/0.506 है. कुल 1.265 है.भूमि।
- (ग)-वादी संख्या 2 जसवन्तसिंह को बंटवारा में प्राप्त आराजी-चक नं.1 ए बरानी के खाता संख्या 185 प.नं.264/367 मु.नं. 50 कि.नं. 17,24/0.506 है.प.नं. 264/368 मु.नं. 61 कि.नं. 4/0.253 6,7/0.506 है. कुल 1.265 है.भूमि।

उपर्युक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं. 1 ए बरानी का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। चक नं. 1 ए बरानी के खाता संख्या 185 की शेष प्रविष्टी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यथावत व चक श्योदानपुरा बरानी खाता संख्या 53 में से प्रतिवादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व वादीगण के नाम से उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किय जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 29.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत खिनानियां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे	वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		0	प्लीडर की फीस	0
4. ... रुपय पर प्लीडर की फीस		0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस		0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील		0		0
जाड़		1100/-	जाड़	0